उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 149/2020

त्रिलोकी राय.......................वादी।

बनाम्

शेषनाथ राय वगै0...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

30.04.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 05.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 18 मदन राय की मृत्यु दिनांक 04.08.2023 को हो चुकी है तथा इनके तीनों वारीसान बिमला देवी, चंदन सिंह, अमित सिंह का नाम प्रतिस्थापित करने का अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 18 मदन राय का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय।

प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16.04.2026 को उक्त आवेदन का प्रतिउतर दाखिल कर आपति किया गया।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अन्तर्गत दाखिल नही है जिसपर प्रतिवादी के द्वारा आपति किया गया है। अतः वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 05.02.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में मो0 600/– छः सौ रूपये पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के अधिवक्ता कार्यालय लिपिक के समक्ष मृत प्रतिवादी सं0 18 मदन राय का नाम कलमजद करने तथा इनके कानूनी वारिसान बिमला देवी, चंदन सिंह, अमित सिंह को प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है और प्रतिस्थापित प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।

दिनांक– 27.05.2026 वास्ते अपेक्षिकाए दाखिल करने हेतु एवं साक्ष्य हेतू ।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)